


कार्यालय जनपद न्यायाधीश (नज़ारत अनुभाग),  
जनपद न्यायालय, हाथरस।

निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस स्थित मुंसिफी परिसर से लगी रिक्त भूमि (36'10"X09') पर चाय की दुकान एवं फल-फ्रूट घाट-चबैना की दुकान (14'08"X07'06") को वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दिनांक 03.01.2020 से 31.03.2020 तक (लगभग 03 माह) की अवधि के लिये टेके पर उठाये जाने हेतु मुहर बन्द निविदा दिनांक 01.01.2020, दिन बुधवार, समय सायं 4:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।


इच्छुक व्यक्ति मुहर बन्द निविदा हेतु निविदा फार्म केन्द्रीय नज़ारत, जनपद न्यायालय, हाथरस में नकद रू० 10.00 की धनराशि जमा कर, प्राप्त किया जा सकता है। नियम एवं शर्तों या अन्य किसी प्रकार की जानकारी हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाईट <http://www.allahabadhighcourt.in> एनआईसी, हाथरस की आधिकारिक वेबसाईट <https://hathras.nic.in/> एवं केन्द्रीय नज़ारत, हाथरस से प्राप्त की जा सकती है।



( योगेन्द्र राम गुप्ता )  
अध्यक्ष, नीलामी समिति/  
विशेष न्यायाधीश,  
(एस.सी./एस.टी. अधिनियम)  
हाथरस।

आदेश

अवलोकित। अनुमोदित

  
जनपद न्यायाधीश,  
हाथरस।

## कार्यालय— जनपद न्यायाधीश, हाथरस।

### इश्तहार नीलामी


सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस स्थित मुसिफी परिसर से लगी रिक्त भूमि (36'10"X09') पर चाय की दुकान एवं फल-फ्रूट चाट-चबैना की दुकान (14'08"X07'06") को वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दिनांक 03.01.2020 से 31.03.2020 तक (लगभग 03 माह) की अवधि के लिये ठेके पर उठाये जाने हेतु मुहर बन्द निविदा दिनांक 01.01.2020, दिन बुधवार, समय सायं 4:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है।

इच्छुक व्यक्ति मुहर बन्द निविदा हेतु निविदा फार्म केन्द्रीय नज़ारत, जनपद न्यायालय, हाथरस में नकद रु० 10.00 की धनराशि जमा कर, प्राप्त किया जा सकता है। नियम एवं शर्तों या अन्य किसी प्रकार की जानकारी हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाईट <http://www.allahabadhighcourt.in> एनआईसी, हाथरस की आधिकारिक वेबसाईट <https://hathras.nic.in/> एवं केन्द्रीय नज़ारत, हाथरस से प्राप्त की जा सकती है।

#### मुहर बन्द निविदा हेतु आवश्यक नियम एवं शर्तें :-

01. यह ठेका दिनांक 03.01.2020 से 31.03.2020 तक की अवधि के लिए वैध है।
02. मुहर बन्द निविदा हेतु निविदा फार्म केन्द्रीय नज़ारत, हाथरस से कार्यालय दिवस में नकद रु० 10.00 की धनराशि जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
03. मुहर बन्द निविदा लिफाफे में दिनांक 01.01.2020 को अपरान्ह 04.00 बजे तक केन्द्रीय नज़ारत, हाथरस में स्वीकृत की जायेगी तथा 02.01.2020 को सायं 04.00 बजे इच्छुक निविदा दाताओं की उपस्थिति समिति के नीलामी के समक्ष खोली जायेगी।
04. चाय की दुकान (36'10"X09') हेतु आधार मूल्य रु० 35,000.00 की धनराशि एवं फल-फ्रूट चाट-चबैना की दुकान (14'08"X07'06") हेतु आधार मूल्य रु० 10,000.00 की धनराशि निर्धारित है। इससे अधिक की धनराशि वाले के पक्ष में ठेका छोड़ा जायेगा।
05. चाय की दुकान (36'10"X09') हेतु अर्नेस्ट मनी (बयाना/अग्रिम धन) रु० 500.00 की धनराशि, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट जो कि जनपद न्यायाधीश, हाथरस के नाम देय होगी, मुहर बन्द निविदा के साथ जमा होगी।
06. फल-फ्रूट चाट-चबैना की दुकान (14'08"X07'06") हेतु अर्नेस्ट मनी (बयाना/अग्रिम धन) रु० 200.00 की धनराशि, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट जो कि जनपद न्यायाधीश, हाथरस के नाम देय होगी, मुहर बन्द निविदा के साथ जमा होगी।
07. चाय की दुकान (36'10"X09') एवं फल-फ्रूट चाट-चबैना की दुकान (14'08"X07'06") हेतु अलग-अलग आवेदन करना होगा।
08. जिस व्यक्ति के हक में ठेका छोड़ा जायेगा, उसको नीलामी की समस्त धनराशि तत्काल जमा करना होगा, यदि वह समस्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
09. अपूर्ण मुहर बन्द निविदा निरस्त कर दी जायेगी तथा ठेकेदार निर्धारित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तुओं की बिक्री नहीं करेगा।
10. नीलामी समिति का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
11. सभी निविदा मुहर बन्द ही स्वीकार किये जायेंगे। मुहर बन्द निविदा में निविदा फार्म पूर्णतः भरा हुआ तथा पूर्ण हस्ताक्षर सहित स्वीकार की जायेगी।
12. एक अथवा सभी निविदाओं को बिना किसी कारण बताये निरस्त/स्वीकृत करने का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित है।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जनपद न्यायालय, हाथरस होगा।
14. निरस्त किये गये निविदाओं की अर्नेस्ट मनी नियमानुसार वापिस कर दी जायेगी।
15. ठेकेदार पानी एवं बिजली की व्यवस्था स्वयं करेगा।

16. किसी भी ठेकेदार को ठेके को बेचने का अधिकार नहीं होगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे-सम्बन्धी या किसी अन्य को ठेका हस्तान्तरित नहीं करेगा।
17. प्रत्येक ठेकेदार को जिसके नाम ठेका छोड़ा जायेगा, उसे नियमानुसार अपण्डरटेकिंग देनी होगी तथा उसे नियमानुसार रू० 50.00 की धनराशि का स्टॉम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निस्पादित करना होगा।
18. प्रत्येक ठेकेदार को अपनी हैसियत का हैसियत प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड दाखिल करना आवश्यक होगा।

  
10.12.19

(योगेन्द्र राम गुप्ता)

अध्यक्ष, नीलामी समिति /

विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. अधिनियम,  
हाथरस।

प्रतिलिपि-

01. जिला जज, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
02. मुंसिफी हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
03. नगर पालिका, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
04. कलैक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
05. मुनादी कराये जाने हेतु।
06. समाचार पत्र में सरकारी दर से प्रकाशन हेतु।
07. तहसील हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।


अध्यक्ष, नीलामी समिति /

विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. अधिनियम,  
हाथरस।

कार्यालय- जनपद न्यायाधीश, हाथरस।

मुहर बन्द निविदा हेतु आवश्यक नियम एवं शर्तें :-

01. यह ठेका दिनांक 03.01.2020 से 31.03.2020 तक की अवधि के लिए वैध है।
02. मुहर बन्द निविदा हेतु निविदा फार्म केन्द्रीय नजारत, हाथरस से कार्यालय दिवस में नकद रु० 10.00 की धनराशि जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
03. मुहर बन्द निविदा लिफाफे में दिनांक 01.01.2020 को अपराह्न 04.00 बजे तक केन्द्रीय नजारत, हाथरस में स्वीकृत की जायेगी तथा 02.01.2020 को सायं 04.00 बजे इच्छुक निविदा दाताओं की उपस्थिति समिति के नीलामी के समक्ष खोली जायेगी।
04. चाय की दुकान (36'10''X09') हेतु आधार मूल्य रु० 35,000.00 की धनराशि एवं फल-फ्रूट चाट-चबैना की दुकान (14'08''X07'06'') हेतु आधार मूल्य रु० 10,000.00 की धनराशि निर्धारित है। इससे अधिक की धनराशि वाले के पक्ष में ठेका छोड़ा जायेगा।
05. चाय की दुकान (36'10''X09') हेतु अर्नेस्ट मनी (बयाना/अग्रिम धन) रु० 500.00 की धनराशि, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट जो कि जनपद न्यायाधीश, हाथरस के नाम देय होगी, मुहर बन्द निविदा के साथ जमा होगी।
06. फल-फ्रूट चाट-चबैना की दुकान (14'08''X07'06'') हेतु अर्नेस्ट मनी (बयाना/अग्रिम धन) रु० 200.00 की धनराशि, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी बैंक ड्राफ्ट जो कि जनपद न्यायाधीश, हाथरस के नाम देय होगी, मुहर बन्द निविदा के साथ जमा होगी।
07. चाय की दुकान (36'10''X09') एवं फल-फ्रूट चाट-चबैना की दुकान (14'08''X07'06'') हेतु अलग-अलग आवेदन करना होगा।
08. जिस व्यक्ति के हक में ठेका छोड़ा जायेगा, उसको नीलामी की समस्त धनराशि तत्काल जमा करना होगा, यदि वह समस्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
09. अपूर्ण मुहर बन्द निविदा निरस्त कर दी जायेगी तथा ठेकेदार निर्धारित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तुओं की बिक्री नहीं करेगा।
10. नीलामी समिति का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।
11. सभी निविदा मुहर बन्द ही स्वीकार किये जायेंगे। मुहर बन्द निविदा में निविदा फार्म पूर्णतः भरा हुआ तथा पूर्ण हस्ताक्षर सहित स्वीकार की जायेगी।
12. एक अथवा सभी निविदाओं को बिना किसी कारण बतायें निरस्त/स्वीकृत करने का अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित है।
13. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जनपद न्यायालय, हाथरस होगा।
14. निरस्त किये गये निविदाओं की अर्नेस्ट मनी नियमानुसार वापिस कर दी जायेगी।
15. ठेकेदार पानी एवं बिजली की व्यवस्था स्वयं करेगा।
16. किसी भी ठेकेदार को ठेके को बेचने का अधिकार नहीं होगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे-सम्बन्धी या किसी अन्य को ठेका हस्तान्तरित नहीं करेगा।
17. प्रत्येक ठेकेदार को जिसके नाम ठेका छोड़ा जायेगा, उसे नियमानुसार अण्डरटेकिंग देनी होगी तथा उसे नियमानुसार रु० 50.00 की धनराशि का स्टॉम्प लेकर आना होगा और अनुबन्ध पत्र निस्पादित करना होगा।
18. प्रत्येक ठेकेदार को अपनी हैसियत का हैसियत प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड दाखिल करना आवश्यक होगा।

  
(योगेन्द्र राम गुप्ता)

अध्यक्ष, नीलामी समिति/  
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. अधिनियम,  
हाथरस।